संख्या-11/4191/71-2-14-पी-72/2013

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत संस्थान के सी0सी0एम0 विभाग के विस्तार से संबंधित कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2737/71-2-14-पी-72/2013 दिनांक 08 अगस्त, 2014 के क्रम में तथा आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/लेखा/34/2014 दिनांक 22-9-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के सी0सी0एम0 विभाग के विस्तार से संबंधित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 49,05,000/- (रूपया उन्चास लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजना के लिए नहीं किया जायेगा अर्थात व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
3. वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. प्रायोजना से सम्बन्धित निर्गत उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-26-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-12457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 11/4191(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।